

अन्तिम डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 72/2011

राजाराम पुत्र श्री टीकूराम जाति जाट साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— वादी

—:बनाम:—

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. दिनेश कुमार उम्र 13 वर्ष | पुत्रगण इमीलाल नाबालिग जरिये कुदरती वली संरक्षक
माता शारदा देवी पत्नी इमीलाल उम्र 35 वर्ष जाति जाट
निवासी गांव अलायकी वार्ड नं. 2 तहसील पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़। |
| 2. नरेश कुमार उम्र 11 वर्ष | |

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

—:डिक्री:—

दिनांक :- 26/11/2024

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अजय सिंह चौहान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश अरोड़ा एवं राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार खाता विभाजन कर अन्तिम डिक्री की जाती है:-


1. राजाराम पुत्र टीकूराम हिस्सा संपूर्ण जाति जाट साकिन अलायकी खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा अयालकी:-

चक 15 एमओडी-ए के प.नं. 44/266(30) किला नं. 5/2/.177, 5/3/.025, गै.मु. खाला 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 9 कुल 0.759, 10/.099 की कुल 1.313 हैक्ट. मय गै.मु. नहरी

2. दिनेश कुमार पुत्र इमीलाल हिस्सा 193/686 जाति जाट नरेश कुमार पुत्र इमीलाल जाति जाट हिस्सा 90/686 साकिन अयालकी सुमन रानी पत्नी सुलेन्द्र कुमार हिस्सा 403/686 जाति जाट साकिन अयालकी:-

चक 15 एमओडी-ए के प.नं. 44/266(30) किला नं. 10/.091, 13/0.089, 14/.253, 15/1/.228, 15/2/0.025 गै.मु. खाला कुल 0.686 हैक्ट. नहरी गय गै.मु. खाला।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड़ पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व विभाग में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।


सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 26/11/2024... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा